



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 04 जून, 2025 ई०

ज्येष्ठ 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या:- 218/XXXVI-A-1/2025-23 एक(5)/2005

देहरादून, 04 जून, 2025

अधिसूचना

प० आ०-43

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं०-39 सन् 1987) की धारा-22(ख) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संस्तुति पर निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्व में हो, तक के लिए स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिलों के स्थायी लोक अदालतों में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका		
क्र०सं०	स्थायी लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत में सदस्य के रूप में नामित जाने वाले चयनित/संस्तुत आवेदकों के नाम
1	2	3
1.	जिला अल्मोड़ा (जिला बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार)	1. श्री भाष्कर चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री पूरन चन्द्र पाण्डे, निवासी-ग्राम बिलोरी, पो० झुपुल्यौरा, जिला अल्मोड़ा। 2. सुश्री अभिलाषा तिवारी, पुत्री श्री आर०डी० तिवारी, निवासी-वीनाखान, जिला अल्मोड़ा।

आज्ञा से,

प्रदीप पन्त,

प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 25/न्याय/270-2025-100+20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।